संख्या-250/2020/2899/41-2020-12(सा0)/2020

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 03 नवम्बर, 2020**

विषयः-फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1068/एफ0सी0आई0/2019 दिनांक 09 जुलाई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि पर्यटन मंत्रालयए भारत सरकार द्वारा जनपद-अलीगढ़ में फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, की स्थापना वर्ष-1984 में की गई थी। तदुपरान्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट को दिनांक 01-07-1989 से उ0प्र0 सरकार को हस्तान्तरित कर दिया गया। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट एक शैक्षणिक संस्था है, जो सोसाइटी ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग के माध्यम से दिए जा रहे अनुदान से उक्त संस्थान वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा पॉलीटेक्निक परिसर में उपलब्ध कराए गए भवन में उक्त संस्थान का संचालन हो रहा है। उक्त संस्थान का कोई अपना भवन नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराए गए भवन परिसर को तत्काल खाली करने के निर्देश दिए गए थे।

3- उक्त संस्थान एक शैक्षणिक संस्था है, जिसमें बेरोजगार नव-युवकों/युवतियों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के पर्यटन से जुड़े पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। संस्थान में संचालित विभिन्न नियमित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 350 छात्र/छात्रायें शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित विभिन्न कौशल विकास एवं हुनर से रोज़गार तक कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 250 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कर कुशलता प्रदान की जाती है, जिससे इस क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियाँ रोजगार प्राप्त करते हैं।

4- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान परिसर को तत्काल खाली किए जाने के निर्देशों के क्रम में पर्यटन विभाग द्वारा जिलाधिकारी, अलीगढ़ से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा तहसील कोल के ग्राम-रामपुर में गाटा सं0-452 रकबा 2.900 हे0ए जो कि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-3 अन्य बंजर दर्ज है, को संस्थान के भवन निर्माण हेतु पुनर्ग्रहण प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। राजस्व अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या - 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनाँक 03-06-2016 में यह व्यवस्था दी गई है कि "ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि यदि भूमिहीनों में आवंटन और ग्राम-वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षण के बाद भी शेष बचती है, तो ऐसी कृषि अयोग्य भूमि केवल राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानो, जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंशपूँजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से होगा। राज्य सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/ न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि मूल्य के अतिरिक्त माल गुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा।"

5- उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्था के तहत संस्थान के भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी, अलीगढ़ के द्वारा उपलब्ध कराए गए भूमि पुनर्ग्रहण प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सहमति इस कारण से प्रदान नहीं की गई, क्योंकि संस्थान एक शैक्षणिक संस्था है, जो राज्य सरकार के सेवारत विभाग की श्रेणी में नहीं आता है। राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या-1068/एक-1-2019-रा0-1 दिनाँक 06-01-2020 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि यदि प्रश्नगत भूमि की अपरिहार्य आवश्यकता हो तो प्रशासकीय विभाग द्वारा निःशुल्क भूमि पुनर्ग्रहण करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(1) फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़ के भवन निर्माण हेतु जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा तहसील कोल के ग्राम रामपुर में गाटा संख्या-452 रकबा 2.900 हे0, जिसका मूल्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 6.96 करोड़ है, जो कि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 5-3 अन्य बंजर दर्ज है, को उक्त शिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की जाय।

(2) प्रश्नगत प्रकरण में अग्रतर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-250/2020/2899(1)/41-2020-12(सा0)/2020 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
2- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
न्याय विभाग/वित्त विभाग/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
6- जिलाधिकारी, अलीगढ़।
7- सचिव/प्राचार्य फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, अलीगढ़।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।